# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 1017/2021

उनवानी प्रार्थना पत्र : निर्णय दिनांक :– 24/11/21

............रामफूल............बनाम तहसीलदार.......देवली.......

उपस्थिति :–

............
प्रार्थी

तहसीलदार.....उप.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

: : आदेश : :

प्रार्थी.......रामफूल पुत्र मूल्या.......निवासी...गैरोली...ने प्रशासन गांवो के संघ 2021 केम्प/ न्यायालय में (२०२ संख्यावी) पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम....गैरोली.... जमाबंदी सम्वत.2073-2076.........के खाता संख्या.638.में दर्ज प्रार्थी का नाम..रामफूल पुत्र ............मूल्या.............के स्थान पर.रामफूल पुत्र मूलचन्द............ दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार....दूनी......से कराई गई। तहसीलदार..दूनी..........ने पटवार हल्का ..गैरोली.......व भू०अ०नि०..देवडावास..की रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त इन्द्राज करने की अभिशंषा की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली गई। तहसीलदार.......दूनी.......से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू–राजस्व ( भू–अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप –6 विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांकः– 4(1)राज–6/2002/19 (२०२ संख्यावी) के तहत तहसीलदार.....दूनी..... को वाके ग्राम.....गैरोली...........जमाबंदी सम्वत्.2073-2076. के खाता संख्या.....638........में दर्ज.......रामफूल पुत्र मूल्या............ ...........के स्थान पर .....रामफूल पुत्र मूलचन्द.......................... दुरूस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति तहसीलदार.दूनी......को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले सरे इजलास, कैम्प ....गैरोली............में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
देवली